

कार्यालय:- क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0,  
अशोक नगर, बशारतपुर, गोरखपुर।

पत्रांक:- पी0सी0एफ0/उर्वरक-निविदा/2026-27/-79- दिनांक 14/05/2026

ई-टेंडर-सूचना

मुख्यालय के पत्रांक: पी0सी0एफ0 /उर्वरक/2026-27/12/ दिनांक 02.04.2026 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 हेतु उर्वरक/बीज परिवहन, रैक हैंडलिंग एवं पल्लेदारी कार्य हेतु ठेकेदारों एवं दरों के निर्धारण हेतु दिनांक 18.04.2026 को 3:00 बजे तक ई-निविदायें आमंत्रित की गयी थीं। प्राप्त निविदायें दिनांक 18.04.2026 को 3:30 बजे खोली जानी थी किन्तु प्रबन्ध निदेशक महोदय, पी0सी0एफ0 लखनऊ के पत्रांक: पी0सी0एफ0/उर्वरक/2026-27/99 दिनांक-16.04.2026 के द्वारा अपरिहार्य कारणों से अब टेण्डर अपलोड किये जाने की तिथि 30.04.2026 को 3:00 बजे अपराह्न एवं टेण्डर खोले जाने की तिथि 30.04.2026 को 3:30 बजे अपराह्न का समय निर्धारित किया गया, के क्रम में प्राप्त निविदायें इस कार्य हेतु गठित कमेटी के समक्ष निर्धारित तिथि एवं समय पर खोली गयी जिसमें जनपद कुशीनगर हेतु 01 निविदा प्राप्त हुई है। तथा जनपद गोरखपुर, देवरिया एवं महाराजगंज हेतु शून्य निविदा प्राप्त हुई। जिसके कारण नियमानुसार निविदा का कोरम पूरा नहीं हो सका। ऐसे में कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि जनपद महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया एवं कुशीनगर हेतु पुनः निविदा कराये जाने की संस्तुति कमेटी द्वारा की गयी। कमेटी की संस्तुति एवं उपरोक्त पत्र दिनांक 02-04-2026 के क्रमांक-40 पर दिये गये निर्देश कि "निविदा सम्पादित कराने के उपरान्त मण्डलीय कमेटी द्वारा जनपद हेतु पुनः निविदा की संस्तुति की जाती है तो क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा तत्काल पुनः निविदा सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र में कराते हुए पारदर्शी /नियमानुसार निविदा सम्पादित करायी जायेगी।" मुख्यालय के उक्त निर्देश के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 हेतु उर्वरक/बीज परिवहन, रिबेगिंग, रैक हैंडलिंग एवं पल्लेदारी कार्य हेतु गोरखपुर मण्डल के जनपद गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया एवं महाराजगंज में दरों का निर्धारण तथा परिवहन ठेकेदार नियुक्त किये जाने हेतु ई-टेंडर के माध्यम से प्राप्त निविदाएँ निम्न तिथियों में आमंत्रित कर खोली जायेगी:-


क0 सं0	जनपद का नाम	निविदा प्रपत्र अपलोड करने की अन्तिम तिथि	निर्धारित समय		
			निविदा प्रपत्र अपलोड करने का समय	निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि	निविदा प्रपत्र खोलने का समय
1	गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया एवं महाराजगंज	21.05.2026	03.00 PM	21.05.2026	03.30 PM

निर्धारित निविदा प्रपत्र, मूल्य, धरोहर धनराशि, निविदा विशिष्टीकरण, निविदा खुलने की तिथि एवं अन्य सम्बन्धित जानकारी <http://etender.up.nic.in> से डाउनलोड कर, उक्त पर ई-टेंडर की निविदा फार्म एवं वांछित प्रपत्र स्कैन कर अपलोड की जायेगी। निविदा का विवरण निम्नवत् है:-

- 1- उर्वरक/बीज परिवहन, रैक हैंडलिंग, लोडिंग, तथा पल्लेदारी का कार्य।
- 2- धरोहर धनराशि:- (1) A, B, C कैटेगरी जनपद हेतु रू0 1,00,000.00 (एक लाख मात्र)
- 3- निविदा फार्म मूल्य:-रू0 5900.00 (पाँच हजार नौ सौ रूपये मात्र) जी0एस0टी0 सहित। (नॉन रिफण्डेबल)
- 4- अपंजीकृत परिवहन ठेकेदार, निविदा में सम्मिलित होने के लिए अर्नेस्ट मनी शुल्क, नॉन रिफण्डेबल टेण्डर फार्म शुल्क के साथ, नॉन रिफण्डेबल पंजीकरण शुल्क A, B, C कैटेगरी, के जनपदों के लिए समान रूप से रू0 1,25,000.00 (रू0 एक लाख पच्चीस हजार मात्र) जमा करना होगा। पूर्व वर्षों में जमा की गई नॉन रिफण्डेबल पंजीकरण शुल्क मान्य नहीं होगा।

उपरोक्त धरोहर धनराशि एवं निविदा मूल्य यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 गोरखपुर के नाम से आर0टी0जी0एस0 /एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 के पंजाब नैशनल बैंक में खुले खाता संख्या-474000VS00002350 IFSC Code-PUNB0489400 में निर्धारित तिथि दिनांक 21.05.2026 समय साय: 03:00 बजे तक जमा किया जायेगा। पी0सी0एफ0 के जिला कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा धरोहर धनराशि/निविदा पंजीयन शुल्क एवं निविदा मूल्य की रसीद नही काटी जायेगी और न ही रसीद स्वीकार होगी। बिना धरोहर राशि वाली अपूर्ण निविदायें स्वीकार नही की जायेगी। निविदा प्रपत्र पर निर्धारित तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव सभी आवश्यक डाक्यूमेण्टस को स्कैन कर वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर निर्धारित तिथि एवं समय तक अपलोड किया जा सकता है वांछित प्रपत्र अपलोड न किये जाने की स्थिति में टेण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा। जिन परिवहन ठेकेदारों को पूर्व में पी0सी0एफ0 या अन्य किसी सरकारी/सहकारी संस्था (भारत सरकार/किसी भी राज्य सरकार द्वारा) काली सूची में डाला गया है, उनकी निविदायें स्वीकार नही की जायेगी और टेण्डर कमेटी द्वारा ऐसी डाली गयी निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा एवं धरोहर

राशि जब्त कर ली जायेगी। तकनीकी रूप से अर्ह निविदादाता की वित्तीय निविदा पर ही विचार किया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त अपलोड होने वाली निविदाओं के सम्बन्ध में पी0सी0एफ0 जिम्मेदार नहीं होगा। निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार/विभाजित करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक के पास सुरक्षित रहेगा। सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी। टेण्डर फार्म में निर्धारित नियम एवं शर्तें तथा उक्त के अनुरूप टेण्डर वेबसाइट पर अपलोड की गयी निविदा सूचना के अनुसार ही आमन्त्रित निविदा स्वीकार की जायेगी।

  
14/05/2026  
क्षेत्रीय प्रबन्धक,  
पी0सी0एफ0,  
गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।

# PCF यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0,

परिपत्रांक: पीसीएफ/उर्वरक/2026-27/ 12

दिनांक: 02/04/2026

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,  
पी0सी0एफ0,  
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिला प्रबन्धक,  
पी0सी0एफ0,  
उत्तर प्रदेश।

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 हेतु उर्वरक/बीज परिवहन, रिबैगिंग, रैक हैंडलिंग, एवं पल्लेदारी कार्य हेतु ठेकेदारों एव दरों के निर्धारण हेतु ई-टेंडर कार्यवाही।

वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 हेतु उर्वरक/बीज परिवहन, रैक हैंडलिंग तथा पल्लेदारी कार्यों के लिए प्रदेश के समस्त जनपदों में दरों का निर्धारण तथा परिवहन ठेकेदार नियुक्त करने हेतु ई-टेंडर के माध्यम से प्राप्त निविदा मण्डल स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय, पी0सी0एफ0 उ0प्र0 में निम्न तिथियों में खोली जायेंगी:-

क्र.सं.	मण्डल का नाम	निविदा प्रपत्र अपलोड करने की अन्तिम तिथि	निर्धारित समय		
			निविदा प्रपत्र अपलोड करने का समय	निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि	निविदा प्रपत्र खोलने का समय
1	मेरठ, आगरा, झाँसी, देवीपाटन, प्रयागराज, बस्ती, वाराणसी सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, कानपुर, चित्रकूट, गोरखपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, लखनऊ, अयोध्या मण्डल।।	18.04.2026	3.00 PM	18.04.2026	3.30 PM

वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 (02 वर्ष) हेतु उर्वरक/बीज परिवहन, रैक हैंडलिंग, रिबैगिंग तथा पल्लेदारी कार्यों के लिए प्रदेश के समस्त जनपदों में ई-टेंडर के माध्यम से दरों का निर्धारण तथा परिवहन ठेकेदार मण्डल स्तर पर नियुक्त करने हेतु निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

- 1- क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा सम्पन्न होने वाली निविदा का प्रचार-प्रसार करायेगें। ई-निविदा सम्पादित कराये जाने की सूचना अनिवार्य रूप से दी जायेगी।
- 2-क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा निविदा फार्म, नियम शर्तें एवं निविदा सूचना को आज ही ई-टेंडर वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर अपलोड की जायेगी।
- 3-निविदादाता द्वारा निविदा फार्म टेंडर वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> से डाउनलोड कर, समस्त औपचारिता पूर्ण करने के उपरान्त निविदा फार्म एवं वांछित प्रपत्र स्कैन कर अपलोड की जायेगी।
- 4- मण्डल स्तर पर प्राप्त समस्त निविदादाता का निविदा फार्म शुल्क, पंजीकरण शुल्क एवं नियुक्त परिवहन ठेकेदार की अर्नेस्टमनी को क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा मुख्यालय प्रेषित किया जायेगा।
- 5-पीसीएफ के जिला/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा धरोहर धनराशि/पंजीयन शुल्क/निविदा फार्म शुल्क की रसीद न ही काटी जायेगी और न ही रसीद स्वीकार की जायेगी।
- 6- नान रिफन्डेबिल टेंडर फार्म शुल्क रू0 5000.00 + जीएसटी अतिरिक्त (18%) = रू0 5900.00 (रू पाँच हजार नौ सौ मात्र) निर्धारित है।

7-जमानत धनराशि:-

जनपद की श्रेणी	जमानत धनराशि
ए	20.00 लाख
बी	10.00 लाख
सी	8.00 लाख

निर्धारित है। सम्बन्धित जिला प्रबन्धक द्वारा नियुक्त परिवहन ठेकेदार से अनिवार्य रूप से जमानत धनराशि (अर्नेस्टमनी समायोजित करते हुए) अनुबन्ध होने से पूर्व जमा करायी जायेगी। जमानत धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही अनुबन्ध का कार्य सम्पादित कराया जायेगा। जिसकी समीक्षा सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा करते हुए जमानत धनराशि अनिवार्य रूप से मुख्यालय प्रेषित करायी जायेगी।

8- अर्नेस्ट मनी धनराशि कैटेगरीवार A, B, C जनपद हेतु रू0 1,00,000.00 (एक लाख) निर्धारित है। धरोहर धनराशि/निविदा फार्म शुल्क एवं अनरजिस्टर्ड निविदादाता की पंजीयन शुल्क मण्डल स्तर पर खुले "यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0" के बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से जमा करायी जायेगी। क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा असफल निविदादाता की अर्नेस्टमनी मण्डल स्तर से ही वापस कर दी जायेगी। सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा पी0सी0एफ0 के बैंक खाते का उल्लेख निविदा फार्म में किया जायेगा।

9-बिना निविदा फार्म शुल्क एवं अर्नेस्टमनी शुल्क के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी तथा बिना किसी विचार के उसे निरस्त कर दिया जायेगा। पूर्व वर्षों की जमा अर्नेस्टमनी इस वर्ष मान्य नहीं होगी। यदि निविदादाता द्वारा दूसरे जनपद हेतु भी निविदा डाली जाती है तो उसे नयी अर्नेस्टमनी का शुल्क जमा करना होगा।

10- कमेटी द्वारा गोदाम से समिति/बिक्री केन्द्र पर परिवहन दरों का निर्धारण निम्नवत परिवहन दरों के आधार पर किया जायेगा।

दूरी का विवरण	दर
0 से 08 किमी0 तक	रू0 2500 - 3500 प्रति 100 कु0
09 किमी0 से 40 किमी0 तक	रू0 120 प्रति 100 कु0 प्रति किमी0
41 किमी से अधिक	रू0 100 प्रति 100 कु0 प्रति किमी0

उर्वरक/बीज परिवहन कार्य हेतु टेण्डर में 0 से 08 किमी तक की दूरी में रू0 2500 से रू0 3500 के बीच की दरें भरी जायेगी तथा 09 किमी से अधिक की दूरी पर उपर्युक्त दरों में 10 प्रतिशत से कम दरें प्राप्त होती हैं तो ऐसी दरों पर विचार नहीं किया जायेगा।

11-उर्वरक/बीज परिवहन, रैंक हैण्डलिंग, रिबैगिंग एवं पल्लेदारी कार्यों के लिए दरों का निर्धारण तथा परिवहन ठेकेदार नियुक्त करने हेतु ई-टेण्डर की कार्यवाही मण्डल स्तर पर अधोलिखित कमेटी द्वारा सम्पन्न की जायेगी:-

1. सम्बन्धित मण्डल के उप/संयुक्त/अपर आयुक्त एवं उप/संयुक्त/अपर निबन्धक सहकारिता उ0प्र0। अध्यक्ष
2. सम्बन्धित जिले का सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता उ0प्र0। सदस्य
3. सम्बन्धित मण्डल के वरिष्ठ/क्षेत्रीय प्रबन्धक, पी0सी0एफ0, उ0प्र0। (संयोजक/सदस्य)
4. सम्बन्धित क्षेत्र प्रबन्धक, इफको। सदस्य
5. सम्बन्धित क्षेत्र प्रबन्धक, कृभको। सदस्य
6. सम्बन्धित जिले का जिला प्रबन्धक, पी0सी0एफ0 उ0प्र0। सदस्य
7. सम्बन्धित मण्डल अथवा जनपद के लेखाकार पी0सी0एफ0 उ0प्र0। सदस्य

सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक पी0सी0एफ0 उक्त कमेटी के सदस्य/संयोजक होंगे तथा निर्धारित समय पर पारदर्शी एवं नियमानुसार टेण्डर की कार्यवाही कराने हेतु उत्तरदायी होंगे।

12-पीसीएफ में पंजीकृत निविदादाताओं को टेण्डर फार्म के साथ अधोलिखित प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है अन्यथा टेण्डर पर विचार नहीं किया जायेगा:-

- (अ) पीसीएफ द्वारा निर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र।  
 (ब) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।  
 (स) अर्नेस्टमनी एवं निविदा फार्म धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाणक।  
 (द) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र अधोलिखित विवरण के अनुसार संलग्न करना अनिवार्य होगा:-  
 ए श्रेणी जनपद-रु0 80.00 लाख, बी श्रेणी जनपद- रु0 50.00 लाख, सी श्रेणी जनपद-रु0 25.00 लाख  
 (ह) जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र।  
 (य) निविदा हेतु ए, बी, सी श्रेणी के जनपदों हेतु वांछित स्वामित्व वाले ट्रकों :-

जनपद की श्रेणी	ट्रक	
	स्वामित्व	अनुबन्धित
ए	15	20
बी	10	15
सी	05	10

के पंजीकरण प्रमाण पत्र, टैक्स रसीद, स्वस्थता प्रमाण पत्र (फिटनेस), बीमा एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र।

टेण्डर प्राप्त होने के 05 दिवस के अन्दर ठेकेदार से स्वामित्व ट्रकों के साथ ए श्रेणी में 20 अनुबन्धित ट्रक, बी श्रेणी में 15 अनुबन्धित ट्रक, सी श्रेणी में 10 अनुबन्धित ट्रकों का अनुबन्ध 02 वर्षों के लिए कराते हुए पीसीएफ को उपलब्ध करायेंगे। तदनुसार पीसीएफ एवं ठेकेदार के मध्य अनुबन्ध सम्पादित किया जायेगा। यदि ठेकेदार द्वारा 05 दिन के अन्दर स्वामित्व एवं अनुबन्धित ट्रकों का अनुबन्ध नहीं किया गया तो उसकी अर्नेस्टमनी जब्त (FORFEIT) कर ली जायेगी।

13-जिन रजिस्टर्ड परिवहन ठेकेदारों का कार्यकाल की वैधता अवशेष है उन्हें निविदा में मॉगी गयी वांछित शर्तें पूर्ण करनी होगी अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

14-पीसीएफ में अपंजीकृत परिवहन ठेकेदार भी ई-निविदा में सम्मिलित हो सकते हैं। अपंजीकृत परिवहन ठेकेदार को टेण्डर फार्म के साथ अधोलिखित प्रमाण पत्र भी अपलोड करने होंगे अन्यथा टेण्डर पर विचार नहीं किया जायेगा:-

(अ) अपंजीकृत परिवहन ठेकेदार निविदा में सम्मिलित होने के लिए अर्नेस्टमनी शुल्क, नान रिफन्डेबिल टेण्डर फार्म शुल्क के साथ, नान रिफन्डेबिल पंजीकरण शुल्क ए, बी, सी श्रेणी के जनपदों के लिए सामान रूप से रु0 1,25,000.00 (रु0 एक लाख पच्चीस हजार) रु0 जमा करना होगा। पूर्व वर्षों में जमा की गयी नान रिफन्डेबिल पंजीकरण शुल्क मान्य नहीं होगा।

(ब) निविदा हेतु ए, बी, सी श्रेणी के जनपदों हेतु वांछित स्वामित्व वाले ट्रकों :-

जनपद की श्रेणी	ट्रक	
	स्वामित्व	अनुबन्धित
ए	15	20
बी	10	15
सी	05	10

के पंजीकरण प्रमाण पत्र, टैक्स रसीद, स्वस्थता प्रमाण पत्र (फिटनेस), बीमा एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र जनपद के सम्भागीय परिवहन अधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।

टेण्डर प्राप्त होने के 05 दिवस के अन्दर ठेकेदार से स्वामित्व ट्रकों के साथ ए श्रेणी में 20 अनुबन्धित ट्रक, बी श्रेणी में 15 अनुबन्धित ट्रक, सी श्रेणी में 10 अनुबन्धित ट्रकों का अनुबन्ध 02 वर्षों के लिए कराते हुए पीसीएफ को उपलब्ध करायेंगे। तदनुसार पीसीएफ एवं ठेकेदार के मध्य अनुबन्ध सम्पादित किया जायेगा।

यदि ठेकेदार द्वारा 05 दिन के अन्दर स्वामित्व एवं अनुबन्धित ट्रकों का अनुबन्ध नहीं किया गया तो उसकी अर्नेस्टमनी जब्त (FORFEIT) कर ली जायेगी।

(स) सरकारी/सहकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में नियमित उर्वरक/बीज/खाद्यान्न/अन्य परिवहन का कार्य किया गया हो एवं रैक हैण्डलिंग का भी कार्य किया गया हो, का ही अनुभव प्रमाण पत्र पत्रांक/दिनांक सहित मान्य होगा।

ए, बी, सी श्रेणी जनपद के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र:-

जनपद की श्रेणी	वर्ष	कार्य की राशि
ए	02 वर्ष	50 लाख
बी	02 वर्ष	20 लाख
सी	01 वर्ष	05 लाख

(द) फर्म/कम्पनी जैसी भी स्थिति हो का फर्म प्रमाण पत्र व जीड भी अपलोड करना होगा।

(ध) ए, बी, सी श्रेणी के जनपदों हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वॉछित हैसियत प्रमाण पत्र निम्नलिखित विवरण के अनुसार:-

जनपद की श्रेणी	हैसियत प्रमाण पत्र
ए	80.00 लाख
बी	50.00 लाख
सी	25.00 लाख

(य) ए, बी, सी समस्त श्रेणी के जनपदों हेतु 03 वर्ष का आयकर रिटर्न (आईटीआर), एवं पैन कार्ड। व्यक्ति, फर्म/कम्पनी अथवा सभी भागीदारों का अलग-अलग के नाम आईटीआर होना चाहिए।

(र) जिला मजिस्ट्रेट/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत व्यक्ति, फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का निवास प्रमाण पत्र।

(ल) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत व्यक्ति, फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का चरित्र प्रमाण पत्र।

(व) व्यक्ति, फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का आधार कार्ड।

(स) निविदा फार्म शुल्क एवं अर्नेस्टमनी धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाणक।

(ह) जीएसटी प्रमाण पत्र, यदि फर्म कम्पनी है तो फर्म/कम्पनी के नाम का जीएसटी प्रमाण पत्र।

(क्ष) पंजीकरण फार्म में उल्लिखित बिन्दुओं पर शपथ पत्र।

उपरोक्त वैध प्रपत्र अपलोड न करने की दशा में पंजीकरण शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।

15-अपंजीकृत नियुक्त निविदादाता पंजीकरण से सम्बन्धित समस्त अभिलेख 05 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करेंगे। पंजीकरण की अवधि 02 वर्ष रहेगी। 05 दिवस में समस्त अभिलेखों (पंजीकरण की वाछित अर्हता) सहित पंजीकरण हेतु प्रस्तुत नहीं करता है तो टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।

16-निविदादाता को अन्य जिले में टेण्डर डालने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि टेण्डरदाता अधिकतम तीन जनपद में ही अपनी पृथक-पृथक ट्रकों का उल्लेख कर निविदा में भाग ले सकता है। ठेकेदार को निर्धारित प्रारूप पर इस बात का उल्लेख करना होगा कि उसके द्वारा एक जनपद में दिये गये ट्रकों का उल्लेख अन्य जनपद में नहीं किया गया है। एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को मात्र दो जनपद में ही परिवहन ठेकेदार नियुक्त किया जा सकता है।

17- उर्वरक/बीज की प्राप्त निविदा में एल-1 निविदादाता का निर्धारण उर्वरक रैक हैण्डलिंग दरों तथा बिक्री केन्द्रों हेतु प्रेषित परिवहन दरों का एक साथ किया जायेगा एवं जनपद में स्वीकृत सभी ठेकेदारों को रैक हैण्डलिंग एवं परिवहन दोनों का कार्य किया जायेगा। बिक्री केन्द्रों पर अनलोडिंग मद का भुगतान परिवहन ठेकेदार को अलग से किया जायेगा।

- 18- एक ट्रक से एक से अधिक समितियों को उर्वरक/बीज प्रेषण किये जाने की स्थिति में अन्तिम समिति की दूरी (अधिकतम दूरी) के अनुसार ट्रक के पूरे स्टॉक का भाड़ा दिया जायेगा।
- 19- परिवहन ठेकेदार को परिवहन मद में भुगतान की जाने वाली धनराशि का 01 प्रतिशत धनराशि "पीसीएफ विकास निधि खाते" में जमा कर, शेष धनराशि का ठेकेदार को भुगतान किया जायेगा।
- 20- इफको के दो प्लान्ट फूलपुर (जनपद प्रयागराज) एवं आवंला (जनपद बरेली) से जो उर्वरक समितियों को प्रेषित की जाती है की दरें ई-निविदा के माध्यम से प्राप्त की जायेगी।
- 21- स्वीकृत निविदा की दरों पर परिवहन सहकारी संस्थाये अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए स्वीकृत ठेकेदार के साथ-साथ जनपद की आवश्यकतानुसार परिवहन का कार्य कराया जा सकता है।
- 22- पीसीएफ द्वारा परिवहन न कराये जाने पर यदि कोई एम-पैक्स स्वयं परिवहन कराती है तो पीसीएफ उसे जनपद की टेण्डर दरों पर परिवहन का भुगतान करायेगा। एम-पैक्स द्वारा परिवहन किये जाने पर परिवहन का भुगतान परिवहन हेतु निर्धारित अधिकतम दर के अनुसार पीसीएफ द्वारा एम पैक्स को किया जायेगा। एम-पैक्स समितियों को परिवहन कार्य की वायबिलिटी सुनिश्चित करने हेतु 08 किमी की श्रेणी में औसत से कम भुगतान न किया जाये।
- 23- परिवहन ठेकेदारों द्वारा रासायनिक उर्वरकों के वास्तविक रूप से किये गये परिवहन के लिए ही भुगतान किया जायेगा अन्यथा की दशा में कोई किराया देय नहीं होगा।
- 24- यदि एक जनपद से दूसरे जनपद में उर्वरक प्रेषित किये जाने की आवश्यकता हो तो प्रेषण किये जाने वाले जनपद के परिवहन ठेकेदार द्वारा उक्त परिवहन कार्य अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
- 25- परिवहन ठेकेदार नियुक्त होने के पश्चात परिवहन ठेकेदार को उस जनपद हेतु अपना अधिकृत व्यक्ति नियुक्त करना होगा तथा अधिकृत व्यक्ति का पहचान पत्र/कार्यालय का पता, मोबाइल नम्बर एवं प्रमाणित हस्ताक्षर लिखित रूप से जिला प्रबन्धक को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 26- पाँच समितियों पर 01 ट्रक के मानक के आधार पर जनपदों में एक या एक से अधिक परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति की जाये।
- 27- ठेकेदार द्वारा उपयोग की जा रही सभी ट्रकों में जी0पी0एस0 लगवाया जायेगा। पीसीएफ/सेवा प्रदाता द्वारा यह कार्य किया जायेगा, जिसमें वाहनों में जी0पी0एस0 सिस्टम लगाना, उसका मेनटेनेन्स व उसकी कन्ट्रोलिंग भी करना होगा। जी0पी0एस0 लगवाना, रख-रखाव/मेनटेनेन्स आदि पर आने वाला खर्च परिवहन ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। जी0पी0एस0 के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश अलग से जारी किया जायेगा। वाहनों के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन परिवहन ठेकेदार को करना अनिवार्य होगा।
- 28- परिवहन ठेकेदार नियुक्त होने के उपरान्त ठेकेदार द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी ट्रकों को निर्धारित मानक के अनुसार कलर कोडिंग करायी जानी अनिवार्य होगी।
- 29- मण्डलीय कमेटी की स्पष्ट संस्तुति निर्धारित प्रारूप पर अनुमोदन हेतु मुख्यालय प्रेषित की जायेगी। प्रबन्ध निदेशक पीसीएफ के अनुमोदनोपरान्त, परिवहन ठेकेदार नियुक्त करने एवं परिवहन दरों का आदेश सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक पी0सी0एफ0 द्वारा जारी किया जायेगा।
- 30- प्रबन्ध निदेशक पीसीएफ द्वारा नियुक्त परिवहन ठेकेदार को बिना कोई कारण बताये एवं बिना पूर्व सूचना दिये उर्वरक/बीज के ठेके को निरस्त किया जा सकता है।
- 31- परिवहन ठेकेदार का ठेका/अनुबन्ध निम्नलिखित कारणों से निरस्त/डिबार/ब्लैक लिस्ट/निलम्बित किया जा सकेगा-
- अ- परिवहन ठेकेदार द्वारा फर्जी अथवा गलत प्रमाण-पत्र/अभिलेख प्रस्तुत करना।
- ब- टेण्डर स्वीकार होने के उपरान्त असन्तोषजनक क्रियान्वयन करना।

- स- समय से परिवहन अथवा हैण्डलिंग कार्य न करना।  
 द- पर्याप्त मात्रा में श्रमिक (लेबर) अथवा स्टाफ न रखना।  
 ह- उर्वरक की कालावाजारी/डायवर्जन आदि में लिप्त पाया जाना।  
 म- मॉग के अनुरूप ट्रक उपलब्ध न कराये जाने व अन्य वांछित वाहन उपलब्ध न करा पाना/अनैतिक कार्य /असवैधानिक कार्य में लिप्त पाये जाने पर।  
 य- कार्य स्वयं न कर सबलेट करना अथवा अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों से कराया जाना।  
 र- विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्यवहार, अपराध, मारपीट अथवा धमकी दिने जाने, किसी भी प्रकार का अनुचित दबाव डालने पर।  
 ल- वांछित प्रतिभूति (जमानत) की धनराशि जमा न करना।  
 व- अनुबन्ध होने के 05 दिन के अन्दर जी0पी0एस0 एवं कलर कोडिंग न कराया जाना।  
 श- ट्रकों के नम्बर, व्यक्ति/फर्म/ कम्पनी/सहकारी संस्था के नाम सहित ब्लैक लिस्ट/डिवार आदि कार्यवाही करने के लिए प्रबन्ध निदेशक पीसीएफ अधिकृत होंगे तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा।

जिला प्रबन्धक पीसीएफ द्वारा उक्त हेतु परिवहन ठेकेदार को नोटिस निर्गत की जायेगी। प्रथम नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने पर पुनः दूसरी नोटिस मुख्यालय स्तर से प्रेषित की जायेगी। 02 नोटिस निर्गत करने के उपरान्त संतोपजनक उत्तर प्राप्त न होने पर परिवहन ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया जायेगा, साथ ही 05 वर्ष तक के लिए डिवार करते हुए ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है।

परिवहन ठेकेदार को टेण्डर प्राप्त होने के 05 दिन के अन्दर अनुबन्धित ट्रकों का अनुबन्ध करते हुए समस्त ट्रकों का विवरण जिला प्रबन्धक को नही उपलब्ध कराया जाता है तो उसकी अर्नेस्टमनी जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

32- परिवहन ठेकेदार एवं पीसीएफ के मध्य किसी प्रकार के विवाद का निस्तारण उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अधीन किया जायेगा, जो दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

33- परिवहन ठेकेदार नियुक्त होने के उपरान्त सम्बन्धित ठेकेदार को मॉग के अनुरूप प्रत्येक दशा में निर्धारित समय के भीतर वांछित ट्रक उपलब्ध कराने होंगे। यदि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयवाधि में वांछित ट्रक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी।

अ- एक से दो दिन में ट्रक उपलब्ध न कराने पर रू0 2000/- प्रति दिन प्रति ट्रक के आधार पर धनराशि की वसूली/कटौती जिला प्रबन्धक पीसीएफ द्वारा की जायेगी।

ब- तीन दिन तक ट्रकें उपलब्ध न कराये जाने पर नोटिस/स्पष्टीकरण आदि निर्गत करते हुए ठेकेदार की प्रतिभूति (जमानत) धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा गुण दोष के आधार पर ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार अनुबन्ध निरस्तीकरण/निलम्बन /ब्लैक लिस्टिंग आदि की कार्यवाही की जायेगी।

34- पीक सीजन में ट्रकों की संख्या को यथावश्यक और बढ़ाया जाये जिससे कि समितियों में उर्वरक आपूर्ति में समस्या न हो।

35- यदि परिवहन ठेकेदार द्वारा हैण्डलिंग/परिवहन आदि का कार्य नहीं किया जाता है तो विभाग द्वारा उसके रिस्क एण्ड कास्ट पर कार्य करा लिया जायेगा तथा कराये गये कार्य की लागत धनराशि से दो गुनी धनराशि सम्बन्धित ठेकेदार से वसूल की जायेगी।

36- फर्म के अन्य पार्टनर अथवा उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 (यथा संशोधित) में परिभाषित किसी व्यक्ति का निकट सम्बन्धी उसी जनपद में निविदा डालने हेतु अर्ह नहीं होगा।

37-पंजीयन/निविदा की स्वीकृति/ अनुबन्ध निरस्तीकरण/निलम्बन /ब्लैक लिस्टिंग करने आदि का सम्पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक पीसीएफ में निहित होगा।

38- टेण्डर फार्म के प्रस्तर 4 में रैंक हैण्डलिंग की पल्लेदारी सहित दरें प्रत्येक किमी स्लैब के सम्मुख अलग-अलग अंकित की जायें। यदि अधिक किमी के स्लैब की दरें कम किमी के स्लैब की दरों से कम हैं तो अधिक किमी के स्लैब के लिए आफर की गयी दर कम किमी के स्लैब के लिए स्वीकृत की जायेंगी। अतः दरें सावधानी पूर्वक अंकित की जायें।

39- यदि निर्धारित समय पर निविदा सम्पादित कर दरें स्वीकृत नहीं की जाती है और किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो उसका उत्तरदायित्व आपका होगा।

40- निविदा सम्पादित कराने के उपरान्त मण्डलीय कमेटी द्वारा जनपद हेतु पुनः निविदा की संस्तुति की जाती है तो क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा तत्काल पुनः निविदा सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र में कराते हुए पारदर्शी/नियमानुसार निविदा सम्पादित करायी जायेगी।

41-क्षेत्रीय प्रबन्धक निविदा में एल-1 निविदादाता की संस्तुति योग्य दरें प्राप्त होने पर, फाइनेन्सियल बिड खुलने के दूसरे दिन मण्डलीय कमेटी की स्पष्ट संस्तुति निर्धारित प्रारूप पर दरों के अनुमोदन हेतु मुख्यालय प्रेषित की जायेगी तथा अनुमोदन प्राप्त होते ही उसी दिन निर्धारित प्रारूप पर दरें जारी कर प्रति मुख्यालय प्रेषित की जायेगी।

42- निविदा सूचना के सम्बन्ध में जिला प्रबन्धक एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक पी0सी0एफ0 स्तर से अधिक से अधिक संख्या में परिवहन ठेकेदारों को सूचित किया जाये तथा निविदा सूचना जिला कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय पी0सी0एफ0, इफको, कृभको के एरिया मैनेजर कार्यालय तथा सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता, उप/संयुक्त/अपर आयुक्त एवं उप/संयुक्त/अपर निबन्धक सहकारिता उ0प्र0, आर0एफ0सी, कलेक्ट्रेट आदि कार्यालयों में चस्पा कराई जायें।

43-टेण्डर फार्म के साथ संलग्न सामान्य निर्देशों, शर्तों तथा नियमों का भली भँति अध्ययन कर लिया जाये एवं उसके सम्बन्ध में टेण्डरदाताओं को भी अवश्य अवगत करा दिया जाये तथा सुसंगत नियमों के आधार पर निविदा की कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता के साथ की जाये।

44-परिवहन ठेकेदारों को उत्तर प्रदेश शासन के परिवहन विभाग के निर्देशों का पालन करना होगा। पी0सी0एफ0/भारत सरकार/ राज्य सरकार/ सरकारी विभाग/अर्द्ध सरकारी विभाग/निगम से ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति/फर्म के टेण्डर पर विचार नहीं किया जायेगा तथा उनकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

45-परिवहन ठेकेदार/फर्म/कम्पनी अथवा उसके किसी भी साझेदार पर किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी घोषित कर दिया गया हो तो उसके टेण्डर फार्म पर विचार नहीं किया जायेगा।

46-परिवहन ठेकेदार को अपनी फर्म/एल0एल0पी0/कम्पनी में किसी भी प्रकार के बदलाव यथा संरचना/प्रकृति/पता में होने वाले परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक पी0सी0एफ0 को सूचित करना अनिवार्य होगा।


47-अन्य किसी भी शर्तों के साथ जो टेण्डर फार्म के साथ संलग्न शर्तों से भिन्न हों, टेण्डर फार्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात अपलोड होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

48-टेण्डर प्रक्रिया में टेण्डरदाता स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि कोई एक व्यक्ति ही भाग ले सकता है। अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा टेण्डर प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व टेण्डरदाता द्वारा हस्ताक्षरित अधिकार पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

49-टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर फार्म का प्रत्येक पृष्ठ संलग्न शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ तथा टेण्डर फार्म के साथ संलग्न किये गये सभी संलग्नकों को स्वयं हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा निविदा फार्म पूरा भरते हुए टेण्डर फार्म में वर्णित सभी वांछित प्रमाण पत्र टेण्डर फार्म के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

50-जिस दिन निविदा खोली जायेगी उस दिन तक वांछित प्रपत्र की वैधता पूर्ण होनी आवश्यक है।


संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

  
02.4.26  
(डॉ चन्द्र भूषण)  
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-समस्त मण्डल के उप/संयुक्त/अपर आयुक्त एवं उप/संयुक्त/अपर निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०।

2-समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश।

  
02.4.26  
प्रबन्ध निदेशक

# PCF यू पी 0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि०,

पत्रांक: पीसीएफ/उर्वरक/2026-27/

प्रबन्ध निदेशक

पी०सी०एफ०,

मुख्यालय।

दिनांक

महोदय,

अवगत कराना है कि उर्वरक/बीज परिवहन, रैक हैंडलिंग एवं पल्लेदारी कार्य हेतु जनपद ..... हेतु ई-निविदा सम्पादित करायी गयी। सम्पादित ई-निविदा में मण्डलीय टेण्डर कमेटी की संस्तुति के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं वर्ष 2027-28 हेतु एल-1 निविदादाता.....की दरें दिनांक 01-.....-2026 से दिनांक 31-03-2028 तक के लिए निम्नवत स्वीकृत करते हुए परिवहन ठेकेदार नियुक्त करने की संस्तुति की जाती है:-

पल्लेदारी	उर्वरक		बीज		रिबेगिंग	
	लोडिंग	अनलोडिंग	लोडिंग	अनलोडिंग	उर्वरक	बीज
50 किग्रा प्रति बोरा			-	-		
45 किग्रा प्रति बोरा			-	-		
40 किग्रा प्रति बोरा						
20 किग्रा प्रति बोरा						
10 किग्रा प्रति बोरा						
05 किग्रा प्रति बोरा						
रैक हैंडलिंग समस्त पल्लेदारी सहित						
1-10 किमी प्रति टन एकमुश्त रू०						
1-20 किमी प्रति टन एकमुश्त रू०						
1-30 किमी प्रति टन एकमुश्त रू०						
1-40 किमी प्रति टन एकमुश्त रू०						
1-50 किमी प्रति टन एकमुश्त रू०						
1-60 किमी प्रति टन एकमुश्त रू०						
1-70 किमी प्रति टन एकमुश्त रू०						
1-80 किमी प्रति टन एकमुश्त रू०						
1-90 किमी प्रति टन एकमुश्त रू०						
गोदाम से समिति/केन्द्र पर परिवहन (अनलोडिंग अतिरिक्त)						
01 से 08 किमी तक रू० 2500-3500 प्रति 100 कु०						
09 किमी० से 40 किमी तक रू० 120 प्रति 100 कु० प्रति किमी०						
41 किमी से अधिक रू० 100 प्रति 100 कु० प्रति किमी०						

मण्डल स्तर पर गठित कमेटी द्वारा ई-निविदा सम्बन्धी समस्त औपचारिकता पूर्ण करते हुए, पारदर्शी एवं नियमानुसार निविदा सम्पादित करायी गयी है। निविदा खोलने के उपरान्त अर्ह एल-1 निविदादाता ..... की दरें कम एवं संस्तुति योग्य पाये जाने पर एल-1 निविदादाता को जनपद ..... का परिवहन ठेकेदार नियुक्त करने की संस्तुति की जाती है।

अतः अनुरोध है एल-1 निविदादाता .....को जनपद .....का परिवहन ठेकेदार नियुक्त करने एवं दरें स्वीकृत करने का अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।

( )  
लेखाकार  
पी०सी०एफ .....

( )  
जिला प्रबन्धक  
पी०सी०एफ .....

( )  
क्षेत्रीय प्रबन्धक  
पी०सी०एफ .....

( )  
क्षेत्र प्रबन्धक  
इफको.....

( )  
क्षेत्र प्रबन्धक  
कृमकों.....

( )  
सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक  
सहकारिता उ०प्र०.....।

( )  
उप/संयुक्त/अपर आयुक्त एवं उप/संयुक्त/अपर निबन्धक  
सहकारिता उ०प्र०.....।

# PCF यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0,

पत्रांक: पीसीएफ / उर्वरक / 2026-27 /

जिला प्रबन्धक  
पी0सी0एफ0,  
.....।

दिनांक

अवगत कराना है कि मण्डलीय टेण्डर कमेटी की संस्तुति के क्रम में, प्रबन्ध निदेशक महादय के अनुमोदन उपरान्त वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं वर्ष 2027-28 हेतु दिनांक 01- ..... -2026 से 31-03-2028 तक के लिए उर्वरक/बीज परिवहन, रैक हैण्डलिंग एवं पल्लेदारी के लिए परिवहन ठेकेदार तथा दरें निम्नवत स्वीकृत की जाती हैं:-

पल्लेदारी	उर्वरक		बीज		रिबेगिंग	
	लोडिंग	अनलोडिंग	लोडिंग	अनलोडिंग	उर्वरक	बीज
50 किग्रा प्रति बोरा						
45 किग्रा प्रति बोरा			-	-		
40 किग्रा प्रति बोरा			-	-		
20 किग्रा प्रति बोरा	-	-				
10 किग्रा प्रति बोरा	-	-				
05 किग्रा प्रति बोरा						
रैक हैण्डलिंग समस्त पल्लेदारी सहित			-	-		
1-10 किमी प्रति टन एकमुश्त रू0						
1-20 किमी प्रति टन एकमुश्त रू0						
1-30 किमी प्रति टन एकमुश्त रू0						
1-40 किमी प्रति टन एकमुश्त रू0						
1-50 किमी प्रति टन एकमुश्त रू0						
1-60 किमी प्रति टन एकमुश्त रू0						
1-70 किमी प्रति टन एकमुश्त रू0						
1-80 किमी प्रति टन एकमुश्त रू0						
1-90 किमी प्रति टन एकमुश्त रू0						
गोदाम से समिति/केन्द्र पर परिवहन (अनलोडिंग अतिरिक्त)						
01 से 08 किमी तक रू0 2500-3500 प्रति 100 कु0						
09 किमी0 से 40 किमी तक रू0 120 प्रति 100 कु0 प्रति किमी0						
41 किमी से अधिक रू0 100 प्रति 100 कु0 प्रति किमी0						

उल्लेखनीय है कि उक्तानुसार स्वीकृत की गयी दरें मण्डलीय कमेटी द्वारा संस्तुत एल-1 ठेकेदार .....की प्रस्तावित की गयी है। तदकम में ..... को उपरोक्त कार्य हेतु आपके जनपद का परिवहन ठेकेदार नामित किया जाता है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त निविदादाता से निर्धारित जमानत धनराशि जमा कराकर तथा पीसीएफ का नाममात्रिक सदस्य बनाते हुए अनुबन्ध आदि समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराने के उपरान्त ही कार्यादेश जारी करते हुए, कार्य कराना सुनिश्चित करें तथा जमा जमानत धनराशि मुख्यालय प्रेषित करें। परिवहन ठेकेदार से योगदान/अनुबन्ध कराने से पूर्व पीसीएफ में पंजीकरण से सम्बन्धित प्रपत्रों/अभिलेखों तथा अधोलिखित प्रपत्रों का सत्यापन कराने के उपरान्त ही अनुबन्ध की कार्यवाही करायी जाय:-

- 1-हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार प्रमाण पत्र, आयकर प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र।
- 2-सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/सम्भागीय परिवहन अधिकारी से परिवहन में शामिल समस्त स्वामित्व एवं अनुबन्धित ट्रकों के स्वामित्व से सम्बन्धित अभिलेख, फिटनेश/टैक्स/इन्सोरेन्स/पोलुशन प्रमाण पत्र एवं कर भुगतान से सम्बन्धित तातारीख स्थिति।
- 3-फर्म/कम्पनी होने की स्थिति में फर्म के पंजीयन का प्रमाण पत्र एवं डीड।
- 4-विशेष परिस्थिति में रैक हेड से ग्रिफी केन्द्रों को प्रेषित उक्तानुसार स्वीकृत की गयी दरों के अनुसार ही परिवहन का भुगतान किया जायेगा। इसके लिए कोई अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण न कराने की स्थिति में किसी विसंगति/अनियमितता हेतु आप स्वयं उत्तरदाई होंगे।

( )  
क्षेत्रीय प्रबन्धक  
पी0सी0एफ0.....

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0, मुख्यालय।
2. ....परिवहन ठेकेदार।
3. उप/संयुक्त/अपर आयुक्त एवं उप/संयुक्त/अपर निबन्धक सहकारिता उ0प्र0.....।
4. राज्य विपणन प्रबन्धक इफको, 4/8 गोमती नगर विस्तार, लखनऊ।
5. राज्य विपणन प्रबन्धक, कृमको, टी0सी0, 28-वी, विभूतिखण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
6. कार्यकारी निदेशक (वित्त/बीज/उर्वरक), पीसीएफ, मुख्यालय।
7. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता उ0प्र0.....।
8. क्षेत्र प्रबन्धक इफको एवं कृमको.....।
9. लेखाकार, उर्वरक अनुभाग, पीसीएफ, मुख्यालय।

क्षेत्रीय प्रबन्धक

**PCF उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0**  
32, स्टेशन रोड, लखनऊ।

**निविदा ई-टेण्डरिंग की सूचना**

- परिवहन ठेकेदारों/फर्मस/कम्पनीज से दिनांक 31.03.2028 तक प्रदेश के समस्त जनपदों में उर्वरक एवं बीज परिवहन, रैक हैण्डलिंग, रिबैगिंग तथा पल्लेदारी कार्य हेतु ई-निविदायें यू0पी0 ई-टेण्डर वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> से डाउनलोड कर दिनांक 18.04.2026 को अपराह्न 03.00 बजे तक उक्त पर अपलोड की जायेगी। निविदा प्रपत्र एवं सम्बन्धित समस्त जानकारी नियम व शर्तें उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी।

  
प्रबन्ध निदेशक